एक नजर में

युवक-युवती ने फांसी लगाई

इंदौर. आजाद नगर क्षेत्र में हुई दो अलग-अलग घटनाओं में एक युवती और एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. दोनों ही मामलों में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज जांच शुरु की. पहली घटना आलोक नगर मुसाखेड़ी की है, जहां 22 वर्षीय वर्षा बघेल ने घर में फांसी का फंदा लगा लिया. वह एक निजी कंपनी में काम करती थी और पिछले दो दिन से ऑफिस नहीं जा रही थी. युवती ने जब यह खौफनाक कदम उठाया तब उसके परिजन काम पर गए हुए थे. शाम को पिता लौटे तो बेटी को फंदे पर लटका पाया. परिवार का कहना है कि वर्षा के मोबाइल से कुछ मैसेज डिलीट मिले हैं, संभवत: वह आखिरी समय तक किसी से चैट कर रही थी. वहीं दूसरी घटना विराट नगर की है, जहां 25 वर्षीय रंजीत अहिरवार ने भी अपने कमरे में फांसी लगा ली. वह बुधवार को सागर जिले के ग्राम परसून से लौटा था. रात तक दरवाजा नहीं खोलने पर मकान मालिक ने परिजनों को सूचना दी. कमरे का दरवाजा खोलने पर वह फंदे पर लटका मिला. पुलिस को शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है.

जिला अस्पताल में सीटी स्कैन सेवा शुरु

इंदौर. जिला चिकित्सालय में आज से सीटी स्कैन सेवा की शुरुआत हो गई है. इससे साथ ही मरीजों को अब गुणवत्ता के साथ समय पर जांच सुविधा जिला अस्पताल परिसर में ही उपलब्ध होगी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने सीटी स्कैन टीम को निर्देश दिए कि मरीजों को उच्च गुणवत्ता और तुरंत सेवा प्रदान की जाए. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पूरे जिला अस्पताल परिवार को शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. जी.एल. सोढ़ी, डॉ. संतोष वर्मा, अस्पताल प्रबंधक प्रन्मेश भट्ट, आरएमओ डॉ. सतीश नीमा, थैटा लैब्स के अधिकारी और जिला अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा. अधिकारियों ने कहा कि सीटी स्कैन सुविधा शुरू होने से मरीजों को जांच के लिए निजी केंद्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और आपात स्थितियों में उपचार और भी तेज़ी से संभव होगा.

बंदियों ने किया कृष्ण-बलराम लघु नाटिका का मंचन

इंदौर. केंद्रीय जेल में गुरुवार को बलराम जयंती के अवसर पर भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम में बंदी भाइयों ने 'कृष्ण-बलराम मल्लयुद्ध' पर आधारित लघु नाटिका का मंचन किया, जिसमें कृष्ण-बलदाऊ की जोड़ी द्वारा कंस के मल्ल योद्धाओं के वध का रोचक प्रसंग प्रस्तुत किया. नाटक के बाद श्रीकृष्ण भजनों की मधुर गूंज से जेल परिसर का वातावरण संगीतमय हो गया. इस अवसर पर जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने भी भजन की प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा. कार्यक्रम में उप जेल अधीक्षक संतोष लड़या, इंद्र सिंह नागर, वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी अभिषेक दांगी सहित जेल स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा.

आदिवासी बालक छात्रावास में विधिक सहायता शिविर

महू. मानपुर नगर के आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास में रहवासी छात्रों के लिए विधिक सहायता शिविर आयोजित किया गया. शिविर में महू न्यायालय के न्यायाधीश द्वय नीलेश मुलतकर व दीर्घा एरेन ने कानून संबंधी जानकारियां दी. न्यायाधीश द्वय द्वारा बिना हेलमेट के वाहन चलाने, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लायसेंस, होने वाली आर्थिक हानि के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन किया. रहवासी छात्रों को अपने मौलिक अधिकार व कर्तव्य के प्रति दिशा निर्देश दिए. न्यायाधीश द्वय ने बच्चों से कहा संस्कारवान बनें रहें. न्यायाधीशों का रहवासी छात्रों ने पुष्प भेंट कर तालियों के साथ स्वागत किया. न्यायाधीश द्वय का छात्रावास अधीक्षक महेश कुमार यादव ने छात्रों को परिचय करवाया. इस अवसर मानपुर पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक मुवेल, कोर्ट मुंशी परिक्षित यादव भी उपस्थित थे. विधिक सहायता शिविर का संचालन महेश कुमार यादव ने किया. न्यायाधीश द्वय का व श्री मुवेल श्री यादव का आभार अधीक्षक महेश कुमार यादव ने माना.

गुरुतेग बहादुर विद्यालय में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता

महू. अहिल्या उत्सव के अंतर्गत आज गुरुतेग बहादुर विद्यालय में प्राथमिक स्तर की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न विद्यालयों के लगभग 25 छात्र- छात्राओं ने भाग लेकर अहिल्याबाई, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, आदि अनेक महापुरूषों की वेशभूषा मे सुंदर प्रस्तुति दी. प्रतियोगिता के अतिथि गुरू तेगबहादुर विद्यालय की संचालन समिति के हरजीतसिंह भाटिया एवं किरण गोयल थे. निर्णायक रूपलमेठी, ज्योति त्रिवेदी एवं अनिता शर्मा थी. कार्यक्रम का सुंदर संयोजन हेमा रावत, वंदना नेगी एवं कविता वर्मा ने किया. कार्यक्रम मे मुख्य रूप से मनीषा शर्मा, सविता खंडेलवाल, रंजना आमेरिया, अंजू तायल, प्रतिभा चौरसिया, करूणा लुहारिया, अभिलाषा गुप्ता, शीतल तिवारी आदि ने सहयोग दिया. संचालन अंशु गुप्ता ने किया. आभार हेमा रावत ने माना. प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लविका व्यास, गुरू तेगबहादुर विद्यालय, द्वितीय शिवांगी पाटीदार श्री एकेडमी, तृतीय जीवा वर्मा श्री एकेडमी, प्रोत्साहन पुरस्कार कुलदीप तापड़िया माहेश्वरी विद्यालय एवं कु. प्रिशा गुरू तेगबहादुर को प्राप्त हुआ.

एनसीसी और बच्चों ने निकली तिरंगा यात्रा

महू. हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर में गुरुवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा कैंटोनमेंट गर्ल्स स्कूल से प्रारंभ हुई. पुलिस

जवान वाहनों पर तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे. पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जीप पर सवार होकर भारत माता की जय के नारे लगा रही थीं. एसडीएम राकेश परमार, वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी यात्रा में मौजूद रहे. इस तिरंगा यात्रा में महिला आयोग के कर्मचारी, एनसीसी कैडेट्स, बाइक ग्रुप और कॉलेज के विद्यार्थी भी शामिल हुए। सामाजिक संगठन, महिला संगठन, भाजपा कार्यकर्ता और युवा मोर्चा ने भी हिस्सा लिया. स्कूली बच्चों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही. युवाओं ने देशभक्ति गीतों पर जमकर नृत्य किया. यात्रा का समापन श्याम विलाश चौराहे पर हुआ.

बारिश से फिर यातायात जाम, वाहन गुत्थम गुत्था

नव भारत न्यूज

इंदौर. कल रात से शुरू हुई बारिश के कारण आज दिनभर यातायात जाम होने के नजारे देखने को मिले. स्थिति यह थी कि आज दिन भर बारिश में शहर के कई चौराहों पर वाहनों के झुंड बन गए. इसका कारण यह था कि शहर में हर तरफ खुदाई और गड्ढों का होना है.

शहर में आज दिनभर रुक रुक कर बारिश हो रही है और उसी तरह शहर का यातायात भी बारिश के समान रुक रुक कर चलता नजर आया. शहर में यातायात जाम होने का मुख्य अड्डा और सड़क है. पूरे बीआरटीएस पर पलासिया से लेकर विजयनगर तक वाहन चालक यातायात जाम में फंसे रहे. ट्रैफिक सिग्नल और प्वाइंट की स्थिति यह थी कि एक बार में तो कोई वाहन चालक सिग्नल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था. हर किसी को दो से तीन बार के बाद सिग्नल क्रास कर पा रहा है.शहर में रीगल चौराहा, लेंटर्न चौराहा, यशवन्त रोड, मधुमिलन, टावर, नवलखा, अग्रसेन या फिर बीआरटीएस सड़क के सभी चौराहे, पटेल, शास्त्री, राजकुमार ब्रिज हर जगह वाहनों के झुंड नजर आ रहे थे, लेकिन यातायात संभालने वाले नदारद थे. नतीजा यह दिखाई दे रहा था कि वाहन चालक ही अपने अनुसार वाहन निकालने की कोशिश करते नजर आए.

ट्रैफिक पुलिस फिर चौराहों से गायब

आज भी हमेशा की तरह ट्रैफिक पुलिस सड़कों से गायब थी. वाहन चालक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस नहीं होने से यातायात को प्रभावित कर जाम में सहयोग कर दे थे. इसका कारण यह है कि हर किसी को जल्दी और पहले निकलना है, फिर चाहे ट्रैफिक नियम और सिग्नल ही क्यों ना तोड़ना पड़े, तोड़ेंगे. यह तब होता है जब पुलिस सड़कों और ट्रैफिक सिग्नल पर से गायब हो जाती हैं.

एमजी रोड पर सड़क हादसे में युवक की मौत

इंदौर. एमजी रोड क्षेत्र में बुधवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई. रात करीब 1 बजे गांधी हॉल के सामने वह बाइक से घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सहित युवक डिवाइडर से जा टकराया और सिर में गंभीर चोटें आ गईं.

घटना में घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते गुरुवार तड़के करीब 4 बजे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान 35 वर्षीय सोहेल पुत्र नासिर खान निवासी चंदन नगर के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, सोहेल रात को अपने एक परिचित से मिलने गया था. हादसे की सूचना उसके मोबाइल से परिवार को दी गई, जिसके बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. सोहेल के पिता ट्रांसपोर्ट नगर में टायर का काम करते हैं और सोहेल भी उनके साथ काम करता था. परिवार में एक छोटा भाई भी है. एमजी रोड पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है.

बायपास पर कार-बाइक टक्कर, युवक की मौत

इंदौर. राऊ थाना क्षेत्र के गोल चौराहा ब्रिज पर बायपास रोड पर एक तेज रफ्तार ईको कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई. फरियादी अरमान डावर ने बताया कि कार नम्बर जीजे 09 बीए 3787 के चालक ने गड्ढा बचाने के चक्कर में लापरवाही से बिना सिग्नल दिए अचानक कार मोड़ दी और उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दोनों भाई सड़क पर गिर पड़े. जिससे 18 वर्षीय राजवीर डावर के सिर में गंभीर चोट आई, जिसे राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आज से डायल-112 बनेगा 'वन-स्टॉप' आपातकालीन नंबर

- पुलिस से लेकर स्वास्थ्य तक सभी सेवाएं एक साथ

नव भारत न्यूज

इंदौर. मध्यप्रदेश में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत करते हुए डायल-112 को अब इंटीग्रेटेड, स्मार्ट और मल्टी-पर्पज आपातकालीन सेवा के रूप में शुरू किया जा रहा है. नई व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स और रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी.

नई प्रणाली लागू होने के बाद अब विभिन्न आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग-अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ डायल-112 करके ही सभी आवश्यक मदद एक साथ प्राप्त की जा सकेगी. डायल-112 पर उपलब्ध सेवाएं, पुलिस सहायता (पूर्व में 100), स्वास्थ्य व एम्बुलेंस (108), अग्निशमन सेवा (101), महिला हेल्पलाइन (1090), साइबर क्राइम शिकायत (1930), रेल मदद (139), हाईवे एक्सीडेंट रिस्पॉन्स (1099), प्राकृतिक आपदा (1079), महिला एवं बाल सहायता (181, 1098), इस कदम से आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया समय घटने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और नागरिकों को तुरंत व समग्र मदद मिलने की उम्मीद है.

पिता-पुत्र ने दोस्त की पत्थर से मारकर की थी हत्या

- मानपुर में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने किया पर्दाफाश
- लाश बोरे में भरकर जंगल में फेंकी

नव भारत न्यूज

इंदौर. मानपुर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले जंगल में मिली अज्ञात लाश के मामले में पुलिस ने अंधी हत्या का पर्दाफाश कर दिया है. वारदात में शामिल ग्राम बिचौली निवासी पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह आपसी विवाद और पुरानी रंजिश बताई गई है. पहचान छुपाने के लिए शव को साड़ी और दो प्लास्टिक के बोरों में पैक कर सागौन के पत्तों से ढककर जंगल में फेंक दिया था.

12 अगस्त को ग्राम बिचौली के चौकीदार भीमा गिरवाल ने सूचना दी थी कि बिचौली जंगल में साड़ी से लपटा शव, दो प्लास्टिक के बोरों में बंद मिला है, जिसके सिर पर चोट के निशान थे. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में मृतक की पहचान 62 वर्षीय हर्ष उर्फ डमरू निवासी संजय गांधी नगर, महू के रूप में हुई, जो ग्राम बिचौली में गोलू वास्केल के घर आता-जाता था. जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर विशेष टीम गठित कर अलग अलग क्षेत्रों में लगाया. इसके बाद संदेही गोलू वास्केल को टांडा धार से हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमें उसने अपराध स्वीकार कर लिया. उसने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त को मृतक ने उसके एक दोस्त से मिलने पर सार्वजनिक रूप से उसे अपमानित किया था. अगले दिन रात 9-10 बजे दोनों में फिर विवाद हुआ, जिसके बाद गोलू ने अपने घर के पीछे पत्थर मारकर हर्ष की हत्या कर दी और अपने पिता भागीरथ वास्केल की मदद से शव को बोरे व साड़ी में लपेटकर जंगल में फेंक दिया. इसके बाद पुलिस ने 26 वर्षीय गोलू वास्केल पिता भागीरथ वास्केल निवासी ग्राम बिचौली आदिवासी मोहल्ला थाना मानपुर, जिला इंदौर तथा 55 वर्षीय भागीरथ वास्केल पिता स्व. बुरखीलाल वास्केल निवासी ग्राम बिचौली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है.

बीडीडीएस टीम ने संवेदनशील स्थलों पर की सघन चैकिंग

शहर में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए

नव भारत न्यूज

इंदौर. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मज़बूत करने के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की बीडीडीएस टीम ने 14 अगस्त को विशेष चैकिंग अभियान चलाया. इस दौरान शहर के प्रमुख स्थानों पर संदिग्ध वस्तुओं की तलाश और सुरक्षा इंतज़ामों का जायज़ा लिया.पुलिस आयुक्त के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में अति पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय मनोज कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त आसूचना एवं सुरक्षा हंसराज सिंह और अति पुलिस उपायुक्त सुरक्षा प्रमोद सोनकर के मार्गदर्शन में पुलिस सुरक्षा शाखा व बीडीडीएस टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, राजवाड़ा, एयरपोर्ट, आरएपीटीसी ग्राउंड, टीआई मॉल, सी 21 मॉल, सेंट्रल मॉल सहित प्रमुख मंदिरों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की सघन तलाशी ली. चैकिंग के दौरान पुलिस डॉग स्क्वॉड, एचएचएमडी और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की जांच की. अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई न केवल सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए है, बल्कि नागरिकों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ाने के उद्देश्य से भी की जा रही है.

कनाडिया में महिला की संदिग्ध मौत

- परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप

नव भारत न्यूज

इंदौर. कनाड़िया थाना क्षेत्र में बुधवार शाम 30 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान रानी पति ईश्वर के रूप में हुई है. वह घर के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थी. पति उसे एमवाय अस्पताल लेकर गया और डॉक्टरों को बताया कि वह सड़क हादसे में घायल हुई है, लेकिन मृतका के मायके पक्ष ने इसे हत्या करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं.

कनाडिया थाना प्रभारी सहर्ष यादव ने बताया कि रानी नामक महिला दोपहर को बेटे को लेने स्कूल गई थी.

कुछ देर बाद वह घर के पास लहूलुहान मिली, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना पर क्षिप्रा से मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे. मृतका की बड़ी मम्मी कांता ने पुलिस को बताया कि रानी और उसके पति ईश्वर के बीच पिछले दो साल से विवाद चल रहा था. ईश्वर स्कूल की गाड़ी चलाता है और उसी स्कूल की एक महिला से उसके संबंध थे, जिसकी शिकायत पहले थाने में भी की गई थी.

आज दस आजीवन कारावासियों को मिलेगी आज़ादी

- 14 साल बाद रिहा होगी बहू हत्याकांड की दोषी
- अब पांच बार मिलेगी जेल से आजादी

नव भारत न्यूज

इंदौर. केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 कैदियों के लिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस जिंदगी का नया मोड़ लेकर आएगा. 15 अगस्त की सुबह ये सभी हमेशा के लिए जेल से आज़ाद हो जाएंगे. रिहा होने वालों में एक महिला कैदी भी शामिल है, जिसने घरेलू विवाद के चलते अपनी बहू की हत्या कर दी थी.

वर्ष 2009 में बहू की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई महिला कुसुम ने 14 साल की सजा पूरी की है. अच्छे आचरण के चलते उसे न्यायालय से माफी का लाभ मिला है. इसके साथ ही प्रदेशभर की विभिन्न जेलों से 127 कैदियों को रिहा किया जाएगा. जेल डीआईजी मंसाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहाई का अवसर देने का निर्णय लिया है. इस बार जिला जेल की खुली जेल से भी दो कैदी रिहा होंगे. प्रदेश की 11 केंद्रीय जेल, 41 जिला जेल और 72 उपजेलों से कैदियों की रिहाई की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, जेल में सजा काटते समय कैदियों द्वारा की गई मजदूरी के बदले जमा पारिश्रमिक राशि का भी भुगतान किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने कैदियों को अब वर्ष में पांच अवसरों पर माफी का लाभ देने का फैसला किया है. पहले गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर और आंबेडकर जयंती 14 अप्रैल पर रिहाई होती थी, लेकिन अब शहीद बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को भी रिहाई का अवसर मिलेगा.

स्कूली बच्चों में जगाई देशभक्ति व स्वच्छता की भावना

इंदौर. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चल रहे हर घर तिरंगा - हर घर स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों और बच्चों में देशभक्ति व स्वच्छता की भावना जगाई.

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में 13 अगस्त को जी किड्स इंटरनेशनल स्कूल, नंदानगर में निबंध, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं हुईं, जिनमें 180 से अधिक छात्रों ने भाग लिया. निबंध प्रतियोगिता में कनक धारे, जोहा बक्शी और मानव केदारे, स्लोगन प्रतियोगिता में गुंजन केदारे, सोनाली कोचुरे और लियांशी चौपड़कर, जबकि चित्रकला प्रतियोगिता में कनक यादव, अवनीश चौकसे और दिव्यांश परमार विजेता रहे. न्यू एरा पब्लिक स्कूल में तिरंगे का महत्व और फहराने के नियम बताए गए तथा झंडे वितरित किए गए. डेली कॉलेज में छात्रों को अभियान की जानकारी देकर 15 अगस्त को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया. इसके अलावा, मूसाखेड़ी क्षेत्र की बस्तियों में जाकर पुलिस टीम ने लोगों को स्वच्छता और राष्ट्रध्वज के सम्मान का संदेश दिया और तिरंगे वितरित कर स्वतंत्रता दिवस पर गर्व से फहराने का आह्वान किया.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	84711809	संपत्ति के बदले ऋण	31.07.2025	4,92,173.62/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. दिनेश नागुलाल 2. पूजा दिनेश

संपत्ति का पता: मकान संख्या 25 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल 60 x 15 = 900 वर्ग फुट, भूमि सर्वेक्षण संख्या 269, ग्रामः मकला, फोन नंबर 21, वार्ड नंबर पर स्थित। 23, तहसीलः नागदा, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456331, और सीमाः पूर्वः इकबालुद्दीन हाउस, पश्चिमः रतनलाल हाउस, उत्तरः सुनील हाउस, दक्षिणः रोड

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	86061071.	होम लोन	26.07.2025	1,64,775.59/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. मेहरबानलाल पीरा 2. पार्वती बाई मेहरबानलाल

संपत्ति का पता: वह सारा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट/मकान नंबर 46, माप 625 वर्ग फीट, खसरा नंबर 149, P.H.N 88, ग्राम ढाबली कम्मा, तहसील महिदपुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई हैः उत्तरः स्वयं की भूमि और सामान्य सड़क, दक्षिणः गोपाल फतेह सिंह की कृषि भूमि, पूर्वः तोलारामजी का मकान, पश्चिमः बापूजी पिराजी का मकान

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	75364673	होम लोन	31.07.2025	2,15,920.61/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. रामेश्वर गुर्जर 2. आनंद कुंवर

संपत्ति का पता: मकान संख्या 04 का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 1140 वर्ग फुट और 105.94 वर्ग मीटर, फोन नंबर 06, भूमि सर्वेक्षण संख्या 204, ग्राम अलसी, तहसीलः नागदा, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456440 पर स्थित, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः नागुजी रतन जी, उत्तरः खुली जमीन, पश्चिमः खुली जमीन, दक्षिणः सड़क

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांकः 15.08.2025
स्थानः उज्जैन